

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
वनादेश 58 / 1-12(5)(HRD) देहरादून दिनांक 04 फरवरी, 2022

पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2200/X-1-2021-04(02)/2021, दिनांक 28.12.2021 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 222/12/ई-4/डी0पी0सी0/2021-22, दिनांक 24.12.2021 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2021-22 में वर्तमान में उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित उप वन क्षेत्राधिकारियों को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रू0 35,400-1,12,400/- से वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रू0 47,600-1,51,100/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-


चयन वर्ष 2021-22

क्र.सं.	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1	उमेश चन्द्र पाण्डे	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत।
2	विजेन्द्र दत्त तिवाडी	टिहरी डैम-1, वन प्रभाग, टिहरी।

1. विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु लागू आदर्श चुनाव संहिता के दृष्टिगत उक्त कार्मिक पदोन्नति पर वर्तमान तैनाती के कार्यालय में ही एक सप्ताह के अन्तर्गत अपना पदोन्नति पद पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया है। परित्याग की स्थिति में कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु लागू आदर्श चुनाव संहिता के समाप्त होने के उपरान्त यथास्थिति, संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में रिक्त पदों एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो अलग से तैनाती आदेश करेंगे। इस सन्दर्भ में शासन की पत्र संख्या 2177/X-1-2013-04(13)/2006, दिनांक 05.09.2013 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कार्मिकों के अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण की आवश्यकता होने पर सुस्पष्ट प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये।

3. कर्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।


(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1506 /1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों का शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।
4. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

VSP
(विनोद कुमार) 22
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1506 /1-12(5) तददिनांकित।

प्रतिलिपि-1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के पत्र संख्या 2200/X-1-2021-04(02)/2021, दिनांक 28.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या 222/12/ई-4/डी0पी0सी0/2021-22, दिनांक 24.12.2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

VSP
(विनोद कुमार) 22
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

J.P.G.C
क. कृष्णमोहन
केशव मोहन
केशव मोहन